ORDER SHEET 529-2015Rct

Date of order of proceeding  Order or proceeding with singnature of presiding officer proceeding  28-11-16  राज्य द्वारा एडीपीओउप0 आरोपी अनिल अनुपस्थित । शेष आरोपीगण सहित अधि0श्री यजवेन्द्र श्रीवास्तव उप0 अनुपस्थित आरोपी अनिल की ओर से उसके अधिवक्ता श्री यजवेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा हाजरी माफी आवेदन 317 द0प्र0स0 का प्रस्तुत किया जो वाद विचार स्वीकार किया जाकर द्वारा अधिवक्ता हाजरी मान्य की गई।  प्रकरण अभियोजन साक्ष्य हेतु नियत है। अाज दिनांक को फरियादी श्रीमती उपिला उप0 है। इसी प्रकम पर उभयपक्षों द्वारा व्यवत किया गया कि वह प्रकरण का निराकरण मीडिएशन के माध्यम से कराना चाहती है। चूंकि उभयपक्ष प्रकरण का निराकरण मीडिएशन के माध्यम से कराना चाहती है। चूंकि उभयपक्ष प्रकरण मीडिएशन के माध्यम से कराना चाहती है। उसे उचत प्रकरण मीडिएशन की कार्यवाही हेतु न्यायिक मिजस्टिट प्रथम श्रेणी,श्री पंकज शर्मा के न्यायालय में भेजा जाता है। इस संबंध में रिफरल ऑर्डर जारी किया जावा। हैकि प्रशिक्षित मीडिएटर न्यायिक मिजस्टिट प्रथम श्रेणी,श्री पंकज शर्मा के न्यायालय में उप0हों।  प्रकरण मीडिएशन रिपॉट हेतु चायकाल पश्चात प्रेश हो। प्रकरण मीडिएशन रिपॉट हेतु चायकाल पश्चात प्रेश हो। प्रकरण मीडिएशन रिपॉट हेतु चायकाल पश्चात प्रशास हो। प्रकरण मीडिएशन रिपॉट हेतु चायकाल पश्चात प्रशास हो। प्रकरण मीडिएशन रिपॉट हेतु चायकाल पश्चात प्रशास हो। प्रवित्त मीडिएशन रिपॉट हेतु चायकाल पश्चात प्रशास हो। प्रकरण मीडिएशन रिपॉट होतु चायकाल पश्चात प्रशास हो। प्रकरण मीडिएशन रिपॉट प्राप्त जिसे अभिलेख के साथ संलग्न किया गया। इसी प्रकम पर उभयपक्षी द्वारा द0प्र0स0की धारा 320 (2) के अंतर्गत राजीनामा आवेदन पर विचार किया गया प्रकरण का			
आरोपी अनिल अनुपरिथत । शेष आरोपीगण सहित अधि०श्री यजवेन्द्र श्रीवास्तव उप० अनुपरिथत आरोपी अनिल की ओर से उसके अधिवक्ता श्री यजवेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा हाजरी माफी आवेदन 317 द०प्र०स० का प्रस्तुत किया जो वाद विचार स्वीकार किया जाकर द्वारा अधिवक्ता हाजरी मान्य की गई।  प्रकरण अमियोजन साक्ष्य हेतु नियत है। अाज दिनांक को फरियादी उर्मिला उप० है। इसी प्रकम पर उमयपक्षों द्वारा व्यक्त किया गया कि वह प्रकरण का निराकरण मीडिएशन के माध्यमसे कराना चाहते है आज दिनांक को फरियादी श्रीमती उर्मिला उपरिथत है एवं उसके द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि वह प्रकरण का निराकरण मीडिएशन के माध्यम से कराना चाहती है। चूंकि उमयपक्ष प्रकरण का निराकरण मीडिएशन के माध्यम से कराना चाहते है अतः उक्त प्रकरण मीडिएशन की कार्यवाही हेतु न्यायिक मिलस्टेट प्रथम श्रेणी,श्री पंकार शर्मा के न्यायालय मे भेजा जाता है। इस संबंध में रिफरल ऑर्डर जारी किया जाव।  उभयपक्ष को निर्देशित किया जाता हैकि प्रशिक्षित मीडिएटर न्यायिक मिज०प्रथम श्रेणी, श्री पंकार्ज शर्मा के न्यायालय में उप०हों।  प्रकरण मीडिएशन रिपॉट हेतु चायकाल पश्चात पेश हो।  जे०एम०एफ०सी०  पुनश्च—  पक्षकार पूर्ववत  मीडिएशन रिपॉट प्रप्त जिसे अमिलेख के साथ संलग्न किया गया।  इसी प्रकम पर उभयपक्षों द्वारा द०प्र०स०की धारा 320 (2) के अंतर्गत राजीनामा आवेदन मय राजीनामा प्रस्तुत किया गया जिसे अमिलेख पर लिया गया। फरियादी उर्मिला की पहचान अधि०श्री राजीव श्रीवास्तव द्वारा की गईहै।	order of	Order or proceeding with singnature of presiding officer	parties or pleaders where
	A S	आरोपी अनिल अनुपस्थित । शेष आरोपीगण सहित अधि०श्री यजवेन्द्र श्रीवास्तव उप० अनुपस्थित आरोपी अनिल की ओर से उसके अधिवक्ता श्री यजवेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा हाजरी माफी आवेदन 317 द०प्र०स० का प्रस्तुत किया जो वाद विचार स्वीकार किया जाकर द्वारा अधिवक्ता हाजरी मान्य की गई।  प्रकरण अभियोजन साक्ष्य हेतु नियत है। आज दिनांक को फरियादी उर्मिला उप० है। इसी प्रकम पर उभयपक्षों द्वारा व्यक्त किया गया कि वह प्रकरण का निराकरण मीडिएशन के माध्यमसे कराना चाहते है आज दिनांक को फरियादी श्रीमती उर्मिला उपस्थित है एवं उसके द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि वह प्रकरण का निराकरण मीडिएशन के माध्यम से कराना चाहती है। चूंकि उभयपक्ष प्रकरण का निराकरण मीडिएशन के माध्यम से कराना चाहते है अतः उक्त प्रकरण मीडिएशन की कार्यवाही हेतु न्यायिक मिजस्टेट प्रथम श्रेणी,श्री पंकज शर्मा के न्यायालय मे भेजा जाता है। इस संबंध में रिफरल ऑर्डर जारी किया जावे।  उभयपक्ष को निर्देशित किया जाता हैकि प्रशिक्षित मीडिएटर न्यायिक मिज०प्रथम श्रेणी, श्री पंकज शर्मा के न्यायालय में उप०हो।  प्रकरण मीडिएशन रिर्पोट हेतु चायकाल पश्चात पेश हो।  जे०एम०एफ०सी० पुनश्च—  पक्षकार पूर्ववत मीडिएशन रिर्पोट प्राप्त जिसे अभिलेख के साथ संलग्न किया गया। इसी प्रकम पर उभयपक्षों द्वारा द०प्र०स०की धारा 320 (2) के अंतर्गत राजीनामा आवेदन मय राजीनामा प्रस्तुत किया गया जिसे अभिलेख पर लिया गया। फरियादी उर्मिला की पहचान अधि०श्री राजीव	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR

अवलोकन किया गया प्रकरण के अवलोकन से दर्शित हैकि आरोपी गिरीश के विरूद्ध भादस की धारा 29,323 एवं 506 भाग—2 एवं आरोपीगण जितेन्द्र एवं अनिल के विरूद्ध भादस की धारा 294,323/34 एवं 506 भाग—2 के अंतर्गत आरोप विरचित किये गये है। उक्त धाराये न्यायालय की अनुमित से राजीनामा योग्य है फरियादी उर्मिला ने आरोपीगण से स्वेचछयापूर्वक बिना किसी दबाव के राजीनामा कर लेना व्यक्त किया है। राजीनामा पक्षकारों के हित में एवं लोकनीति के अनुरूप है । अतःराजीनामा आवेदन स्वीकार किया गया एवं उभयपक्षों को राजीनामा करने की अनुमित प्रदान की गई । राजीनामा के आधार पर आरोपी गिरीश को भादस की धारा 294, 323एंवं 506 भाग—2 एवं आरोपी अनिल एवं जितेन्द्र को भादस की धारा 294,323/34 एवं 506 भाग—2 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।अनु0 आरोपी अनिल की दोषमुक्त की सूचना उसके अधिवक्ता को प्रदान की गई।

आरोपीगण पूर्व से जमानत पर है उनके जमानत मुचलके भारहीन किये गये।

प्रकरण में जप्तशुदा वांस का डंडा मूल्यहीन होने से तोडतोड कर नष्ट किया जावे।

प्रकरण का परिणाम दर्ज कर प्रकरण अभिलेखागार भेजा जावे।

> सही / – (प्रतिष्ठा अवस्थी) जे0एम0एफ0सी0गोहद जिला भिण्ड म0प्र0